vinetur

पोलैंड की सीनेट ने देशभर में रात के समय खुदरा शराब बिक्री पर प्रतिबंध का समर्थन किया

प्रस्ताव में रेस्तरां को छूट, गैर-अल्कोहलिक बीयर के विज्ञापनों की अनुमति और खुदरा प्रचारों पर रोक है ; इसे अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है

शनिवार, 7 नवंबर 2026



पोलैंड की सीनेट ने शुक्रवार, 6 नवंबर को एक विधेयक मंजूर किया, जिसके तहत देशभर में रात के समय खुदरा शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा, विज्ञापन नियम सख्त होंगे और प्रचार संबंधी तौर-तरीकों पर अंकुश लगेगा। हालांकि, प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों को नरम करने के लिए इसमें कई छूट भी जोड़ी गई हैं।

यह उपाय पोलैंड के संयम और शराब नीति कानून में संशोधन करता है। सीनेट से मंजूर संस्करण के तहत देशभर की दुकानों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शराब की बिक्री पर रोक होगी, जबकि रेस्तरां और खानपान की अन्य जगहों को इससे छूट मिलेगी। नगरपालिकाओं को प्रतिबंधित अवधि बढ़ाने का अधिकार भी मिलेगा : वे रात 9 बजे से 10 बजे के बीच या सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच अतिरिक्त घंटे जोड़ सकेंगी।

Rzeczpospolita की खबर के मुताबिक, PAP ने बताया कि सीनेटरों ने संशोधनों के साथ विधेयक सर्वसम्मति से मंजूर किया। अब इसे आगे विचार के लिए निचले सदन में वापस भेजा जाएगा।

विधेयक के तहत, संदेह होने पर विक्रेताओं को खरीदार की उम्र की पुष्टि करनी होगी। यदि उम्र की पुष्टि नहीं हो पाती है, तो बिक्री से इनकार करना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान खुदरा विक्रेताओं पर सख्त बाध्यता के रूप में लागू होगा।

प्रस्ताव के सबसे व्यापक हिस्सों में से एक विज्ञापन से जुड़ा है। विधेयक में बीयर सहित सभी मादक पेय पदार्थों के विज्ञापन पर रोक लगाने का प्रावधान है। उल्लंघन पर 30,000 ज़्लॉटी से 1 मिलियन ज़्लॉटी तक जुर्माना या स्वतंत्रता पर आपराधिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वहीं, सीनेट ने एक संशोधन जोड़कर गैर-अल्कोहलिक बीयर के विज्ञापनों की अनुमति दी। यह संशोधन केवल एक मत से पारित हुआ : 46 सीनेटरों ने पक्ष में और 45 ने विरोध में मतदान किया।

सीनेटरों ने एक ऐसे बदलाव का भी समर्थन किया, जिससे थोक बिक्री केंद्रों, खानपान प्रतिष्ठानों और केवल शराब की बिक्री के लिए समर्पित दुकानों में शराब के विज्ञापन की अनुमति होगी। अन्य संशोधनों के तहत हवाई अड्डों पर रात में शराब की बिक्री की अनुमति दी जाएगी और क्राफ्ट ब्रुअरीज़ को शैक्षिक कार्यक्रम तथा पाक-पर्यटन गतिविधियां आयोजित करने की छूट मिलेगी।

सीनेट ने उस संशोधन को खारिज कर दिया, जिसमें ऑनलाइन खरीदी गई शराब की सीधे घर तक डिलीवरी पर रोक लगाने का प्रस्ताव था। इसलिए इस चरण में यह प्रतिबंध विधेयक में शामिल नहीं हुआ।

प्रस्ताव में तरजीही बिक्री के तौर-तरीकों पर भी रोक लगेगी। इनमें छूट, प्रचारात्मक बंडल, वाउचर, मुफ्त उपहार और लॉयल्टी कार्यक्रमों में भागीदारी शामिल हैं। बताया गया है कि इससे “6+6” या “12+12” जैसे आम मात्रा-आधारित ऑफर खत्म हो जाएंगे। यदि यह विधेयक कानून बनता है, तो इससे उत्पादक, खुदरा विक्रेता और बड़ी चेन बीयर, वाइन तथा स्पिरिट्स की मार्केटिंग कैसे करते हैं, इसमें बदलाव आ सकता है—खास तौर पर इसलिए कि विधेयक बिक्री के समय से आगे बढ़कर कीमतों, प्रचार और ब्रांड की दृश्यता को भी प्रभावित करता है।

सीनेट द्वारा स्वीकार किए गए एक संशोधन के अनुसार, नए नियम जून 2027 में लागू होंगे। यदि यह समय-सीमा विधायी प्रक्रिया के बाकी चरणों में भी कायम रहती है, तो खुदरा विक्रेताओं, ब्रुअर्स और पेय कंपनियों को तैयारी के लिए कई महीने मिलेंगे। ये बदलाव पूरे पोलैंड में देर रात की बिक्री, दुकानों के भीतर होने वाले प्रचार और विज्ञापन रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं।

यह मतदान पोलैंड के कई शहरों में रात के समय शराब की बिक्री पर लगाए गए पहले के स्थानीय प्रतिबंधों के प्रयोगों के बाद हुआ है। सीनेट की कार्रवाई से स्थानीय स्तर पर बिखरे इन नियमों को राष्ट्रीय ढांचा मिल जाएगा, जबकि नगरपालिकाओं को और सख्ती करने की छूट बनी रहेगी। पेय उद्योग के लिए खुदरा बिक्री के कम घंटे, सख्त विज्ञापन नियंत्रण और कई प्रचार माध्यमों पर रोक का संयुक्त असर खास तौर पर बीयर और बड़े पैमाने पर होने वाली दुकानों के बाहर की बिक्री पर पड़ सकता है—भले ही सीनेट ने गैर-अल्कोहलिक बीयर को छूट दी हो।